टी बोर्ड भारत **TEA BOARD INDIA**

14, बी. टी. एम. सरणी (ब्रेबोर्न रोड), कोलकाता 700001

14, B. T. M. SARANI (Brabourne Road), Kolkata 700 001

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार

Under Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, Government of India

www.teaboard.gov.in

दिनांक : **18.03.2026**

कार्यालय आदेश सं 13/2026

सभी आधिकारिक व्यवहारों में पारदर्शिता, जवाबदेही और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी के निदेशानुसार, निम्नलिखित दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए:-

1.	शिकायतें प्राप्त होने पर, बोर्ड के किसी भी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप बोर्ड के मुख्यालय/ क्षेत्रीय/ आंचलिक / उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में संबंधित नियंत्रक अधिकारी (ओं) /विभागीय प्रमुख द्वारा शिकायतों / आरोपों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए प्रारंभिक जांच की जाएगी।
2.	जांच एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी की जाएगी, अधिमानतः शिकायतें प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
3.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर, सतर्कता अधिकारी रिपोर्ट तैयार करेंगे अथवा सतर्कता की दृष्टि से आगे की आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अंतिम रिपोर्ट, आगे के निर्देशों हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
4.	सतर्कता अधिकारी वर्तमान में किए जा रहे अन्य सभी नियमित सतर्कता मामलों की निगरानी करेगा।

यह आदेश उपाध्यक्ष की स्वीकृति से जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू होता है।

अमृता

(डॉ. अमृता चक्रवर्ती)

सचिव (प्र)

वितरण :-

1.	कार्यपालक निदेशक, कूनूर व गुवाहाटी	कृपया अवलोकन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2.	उनिचावि, सिलिगुड़ी/वि.अ.(उपभा)/ फै.स.अ, पालमपूर	
3.	मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्ष (उपाध्यक्ष को छोड़कर)	
4.	मुख्य सतर्कता अधिकारी	कृपया सूचना हेतु
5.	सतर्कता अधिकारी	कृपया अवलोकन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6.	उपाध्यक्ष/सचिव के नि.सह	
7.	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
8.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियों सहित

ई. फाइल सं SECY.-PER0SELF/4/2026-O/o सचिव